

कार्यवृत्त

मंगलवार, 22 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक 11 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड-38
अंक-6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष नियम-310 के अन्तर्गत रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री राजकुमार टुकराल को झूठे मुकदमें में फसाये जाने सम्बन्धी सूचना को लेकर अपनी बात कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इसे नियम-58 में प्रश्न काल के बाद ग्राह्यता पर सुन लेंगे, कृपया प्रश्न काल होने दें।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 में 3 सूचनार्यें प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य, श्री मदन कौशिक की है जो प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में रजिस्ट्रेशन फीस अत्यधिक होने एवं अन्य चार्ज भी बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट एवं माननीय सदस्य, श्री मदन कौशिक, श्री हरबंस कपूर, श्री चन्दन राम दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री भीम लाल आर्य, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री संजय गुप्ता, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री महावीर सिंह रांगड़ एवं श्री प्रेम सिंह राणा की है, जो माननीय सदस्य, रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र श्री राजकुमार टुकराल के विरुद्ध राजनीतिक विद्वेष की भावना से षड़यन्त्र कर झूठे मुकदमें में फंसा दिये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री भीम लाल आर्य की है, जो चीन-तिब्बत देश की सीमा से लगे सीमान्त गांव गंगी, गेंवाली, पिन्स्वाड़ आदि गांवों में सड़क शिक्षा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि वे दूसरी सूचना के विषय को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। शेष सूचनाओं को वे प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार करते हैं।

आज नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त 09 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुईं जिनमें से श्री विशन सिंह चुफाल एवं श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा की सूचना पढ़ी हुई मानी गयी तथा शेष सूचनाएं सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी :-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना “विधान सभा क्षेत्र सल्ट के सराईखेत आई.टी.आई. में उचित प्रशिक्षण न दिये जाने के कारण उत्पन्न असन्तोष की स्थिति के संबंध में।”
2. श्री मदन कौशिक “हरिद्वार के जिला हॉस्पिटल/मेला हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी के सम्बन्ध में।”
3. श्री मालचन्द “विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव स्थित स्वास्थ्य समुदाइक केन्द्र को पी.पी. मोड में देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।”
4. श्री महावीर सिंह राँगड़ “जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौली के अन्तर्गत रा.इ. का. नागराजाधार, रा.इ.का. मैण्डखाल तथा रा.इ.का. बंगियाल का भवन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।”
5. श्री विशन सिंह चुफाल “जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में।”
6. श्री अरविन्द पाण्डेय “विधान सभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत गदरपुर- दिनेशपुर-मटकोटा मार्ग को ई.पी.सी. मोड से हटाकर एस.पी.ए. में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।”
7. श्री चन्दन राम दास “विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के साथ ही प्रदेश में 66 इण्टर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद सृजन किये जाने की माँग के संबंध में।”

स्व० श्री पृथ्वी सिंह विकसित के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी संवेदना प्रकट की।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट माननीय सदस्य विधान सभा श्री मदन कौशिक, श्री हरिदास, माननीय मंत्री, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा की सदन की ओर से शोक संवेदना उनके परिवार को पहुंचा दी जायेगी।

स्व० श्री हीरा सिंह बोरा के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी संवेदना प्रकट की।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट माननीय सदस्य विधान सभा, श्री हरिदास, श्री नारायण राम आर्य तथा माननीय मंत्री, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सदन की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार को पहुंचा दी जायेगी।

तत्पश्चात् सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

माननीय सदस्य श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सत्र के मध्य किसी भी योजना की घोषणा मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के द्वारा सदन के बाहर नहीं की जा सकती है। अतः घोषित सभी घोषणाएं निरस्त की जानी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि पीठ से पूर्व में भी निर्देश सरकार को दिये गये हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित किये जायें, मा० क्षेत्रीय विधायकों को अवश्य सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाय तथा आज पुनः सरकार को निर्देशित करता हूँ कि इस स्वस्थ परम्परा को बनाये रखा जाय।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा के मजरे 1-डूंगाखेत, 2-पसौली की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री उमराव सिंह, निवासी-ग्राम डुंगाखेत, ग्राम सभा-लांघा, पो०-लांघा, तहसील विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत पपडियान के मजरे लटीखेत की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री टीकम सिंह, निवासी-ग्राम लटीखेत, ग्राम सभा-पपडियान, पो०-कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी के मजरे डूमेट की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री नारायण सिंह, निवासी-ग्राम डूमेट, ग्राम सभा-अम्बाड़ी, पो०-अम्बाड़ी, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौलीभूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में” श्री गेन्दन लाल, निवासी-ग्राम लांघा, पो०-लांघा, तहसील-विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कांडी बिचला ढांगू ब्यासघाट किनसुर मोटर मार्ग स्थान पुलनाबढ से कांडी खण्ड तक का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री शिवदयाल सिंह नेगी, ग्राम कांडी, पो०-कांडी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद पौड़ी गढ़वाल के मष्टखाल नैल, रैंस कोठार मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री इन्द्रमणि बिन्जोला, निवासी-ग्राम नैल, पो०-सिलोगी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 07 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

मा0 सदस्य, श्री राजकुमार टुकराल को झूठे मुकदमें में फंसाये जाने विषयक नियम-310 की सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट, मा0 सदस्य विधान सभा, श्री मदन कौशिक, श्री हरबंस कपूर एवं श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें, जो एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करे कि मा0 टुकराल जी को द्वेष स्वरूप असंवैधानिक रूप में तो नहीं फंसाया गया है।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 02 बजकर 12 मिनट पर 03 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 03 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

प्रदेश में आयी आपदा से समस्त प्रदेश में छोटी नहरों की हुई क्षति विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मालचन्द ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में उपनल के माध्यम से हुई भर्ती कार्मिकों को नियमित किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री चन्दन राम दास व श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने अपने विचार व्यक्त किये। सैनिक कल्याण मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद टिहरी अन्तर्गत धनौली क्षेत्र महाविद्यालय की स्थापना किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री महावीर सिंह रांगड़ ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बंदरों व जंगली जानवरों द्वारा की जा रही फसलों व जानमाल की क्षति विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री विशन सिंह चुफाल ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाय।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट के अभिभाषण से आरम्भ हुई। मा0 सदस्य, श्री मदन कौशिक के चर्चा के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चर्चा जारी रहेगी।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से-

“जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौली के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार के विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण तथा डामरीकरण के लम्बित प्रस्तावों के संबंध में श्री महावीर सिंह रांगड़ की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

“विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में मछोड़ नामक स्थान पर तहसील की मांग के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

जनपद बागेश्वर में ए0डी0बी0 द्वारा 02 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य न किये जाने के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, तथा

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 गैड खाल के निर्माणाधीन भवन का कार्य पूर्ण करने के संबंध में श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।